

राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक:- प012(15)वन/2014

जयपुर, दिनांक:- 16.10.2015

आदेश

राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.9.2015 की अनुशंसानुसार निम्नलिखित सहायक वन-संरक्षकों को उपलब्ध उप वन संरक्षक की स्थितियों के विरुद्ध कार्यभार संभालने की तिथि से पे-बेण्ड-III (15600-39100) ग्रेड पे- 6600 में उप वन संरक्षक के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष
1	पोकरमल सेवदा	2014-15
2	किशन सिंह	2014-15
3	जयकिशन जाट	2014-15
4	प्रताप सिंह चूण्डावत	2014-15
5	मोरध्वज सिंह	2014-15
6	ओम प्रकाश शर्मा	2014-15
7	अर्जुनदान चारण	2014-15
8	राजेन्द्र सिंह चौहान	2014-15
9	भैवर सिंह कविया	2014-15
10	योगेन्द्र सिंह कालवी	2014-15
11	विपिन गुप्ता	2014-15
12	अजीत कुमार ओझा	2014-15
13	नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	2014-15
14	करण सिंह टॉक	2014-15
15	रफीक मोहम्मद	2014-15
16	आनंद स्वरूप अग्निहोत्री	2014-15
17	धर्मवीर सिंह	2014-15
18	हनुवंत सिंह	2014-15
19	रामबाबू भारद्वाज	2014-15
20	अशोक कुमार पारीक	2014-15
21	कमल किशोर सोनी	2014-15
22	इन्द्रपाल सिंह पूनिया	2014-15
23	रंगलाल जाट	2014-15
24	कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव	2014-15
25	घनश्याम शर्मा	2014-15
26	प्रेमसिंह शेखावत	2014-15
27	गोपाल बिहारी झालानी	2014-15
28	रमेश चौपडा	2014-15
29	कौशल किशोर सक्सेना	2014-15
30	सहस्र किरणदान चारण	2014-15
31	मान सिंह मीणा (एस0टी0)	2014-15
32	प्रहलाद राय बडगूजर (एस0सी0)	2014-15
33	करण सिंह	2015-16
34	नरपत सिंह चौधरी	2015-16
35	वीरेन्द्र सिंह जोरा	2015-16
36	भवदेव सिंह आंसिया	2015-16
37	भोजराज सिंह	2015-16
38	प्रेमचन्द जैन	2015-16
39	गणेश राम बुरडक	2015-16
40	रामनिवास कुमावत	2015-16
41	मुकुट बिहारी माथुर	2015-16
42	विजेन्द्र कुमार बिस्सा	2015-16
43	अशोक कुमार गुप्ता	2015-16
44	सुरेश आबूसरिया (एस0सी0)	2015-16

कमरा: -----

उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा।

उक्त आदेश के क्रम संख्या 1 एवं 6 पर अंकित अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 7.4.15 से भारतीय वन सेवा के पद पर यथावत कार्यरत हैं। क्रम संख्या 25 एवं 31 पर अंकित अधिकारी वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुके हैं तथा क्रम संख्या 9, 19 एवं 36 पर उल्लेखित अधिकारी क्रमशः सर्व श्री भँवर सिंह कविया, रामबाबू भारद्वाज एवं भवदेव सिंह आंसिया उप वन संरक्षक के अतिरिक्त अन्य अधिकारीगण पदोन्नति उपरान्त यथावत अपने पूर्व पद पर कार्य सम्पादित करेंगे। सर्व श्री भँवर सिंह कविया, रामबाबू भारद्वाज एवं भवदेव सिंह आंसिया उप वन संरक्षक के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस0एल0पी0 (सी0) संख्या 5079-5083/2015 एवं एस0 बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 5663/2000 शिवचरण गुप्ता बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,



( चुन्नी लाल सैनी )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, वन मंत्री
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

  
16-10-15  
शासन उप सचिव